

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
(रेल संरक्षा आयोग)

रेल संरक्षा आयुक्त,
मध्य परिमंडल,
2री मंजिल, चर्च गेट स्टेशन भवन,
एम. के. रोड, मुंबई -400020

संख्या. टी.13011 / 1 / 2014 / सीसी / 203-406

दिनांक 07.07.2015

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त,
अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001.

विषय : दिनांक 07.12.2014 को लगभग 16.22 बजे कोंकण रेलवे के रत्नागिरी क्षेत्र में काकावाली-सिंधुदुर्ग रोड स्टेशन के बीच 12052 अप केआरएमआई-डीआर जन शताब्दी एक्सप्रेस की दुर्घटना।

महोदय,

उपरोक्त दुर्घटना पर सांविधिक जांच की 'प्रारम्भिक रपट' आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु कृपया संलग्न है।

भवदीय,

(चेतन बक्शी)
रेल संरक्षा आयुक्त,
मध्य परिमंडल, मुंबई।

संख्या. टी.13011 / 1 / 2014 / सीसी / 203-406

दिनांक 07.07.2015

प्रारम्भिक रपट अनंतिम निष्कर्ष एवं तत्काल संस्तुतियों के साथ सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव (संरक्षा), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोंकण रेलवे कॉ. लिमि., सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई।

संलग्न : उपरोक्त।

(चेतन बक्शी)
रेल संरक्षा आयुक्त,
मध्य परिमंडल, मुंबई।

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
(रेल संरक्षा आयोग)

संख्या. टी.13011 / 1 / 2014 / सीसी / 203

दिनांक 07.07.2015

प्रेषक :

रेल संरक्षा आयुक्त,
मध्य परिमंडल,
चर्चगेट स्टेशन भवन, एनेक्सी,
द्वितीय तल, महर्षि कार्वे रोड,
मुंबई-400 020

सेवा में,

मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त,
अशोक मार्ग,
लखनऊ-226 001

विषय : दिनांक 07.12.2014 को लगभग 16.22 बजे कोंकण रेलवे के रत्नागिरी क्षेत्र में—
कांकावाली-सिंधुदुर्ग रोड स्टेशन के बीच 12052 अप करमाली-दादर जनशताब्दी
एक्सप्रेस की दुर्घटना।

1.1 प्रस्तावना :

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "रेल दुर्घटना सांविधिक जांच नियमावली, 1998" के नियम 3 के अनुसार, उपर्युक्त घटना में मैं अपनी सांविधिक जांच की "प्रारंभिक रपट" प्रस्तुत करता हूँ।

1.2 निरीक्षण एवं जांच :

- 1.2.1 07.12.2014 को मैं स्वीकृत छुट्टी पर रायपुर में था। उस दिन रायपुर में मुझे मुख्य संरक्षा अधिकारी/कोंकण रेलवे ने लगभग 17.30 बजे दुर्घटना के बारे में सूचित किया था। उन्होंने बताया कि लगभग 16.22 बजे कांकावाली और सिंधुदुर्ग रोड स्टेशन के बीच किमी. 320 / 1-2 में रेलगाड़ी नं. 12052 अप करमाली-दादर जनशताब्दी एक्सप्रेस की किसी प्राइवेट वाहन (जेसीबी) से टक्कर हो गई है।

तदन्तर, मुख्य संरक्षा अधिकारी/कोंकण रेलवे ने सूचित किया कि 12052 अप जनशताब्दी एक्सप्रेस पर यात्रा कर रही कुछ सवारियों को गंभीर चोटें लगी हैं। चूंकि मैं छुट्टी पर था, इसलिए मुख्य संरक्षा अधिकारी/कों.रे.नि.लि. ने 18.50 बजे दुर्घटना के बारे में रेल संरक्षा आयुक्त/दक्षिण मध्य रेलवे/सिकंदराबाद को सूचित किया था। 19.52 बजे रेल संरक्षा आयुक्त/सिकंदराबाद ने मुख्य संरक्षा अधिकारी/कों.रे.नि.लि. को सूचित किया कि वह 09.12.2014 को दुर्घटना की सांविधिक जांच आयोजित करेंगे। तदुपरांत, मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा/लखनऊ द्वारा निर्णय लिया गया कि आयुक्त रेल संरक्षा/मध्य परिमंडल जांच करेंगे। तदनुसार, मैंने मुख्य संरक्षा अधिकारी/कों.रे.नि.लि. को सूचित किया कि मैं दुर्घटना की जांच करूंगा, इसलिए मेरे निरीक्षण की व्यवस्था करें और सुरागों को संभाल कर रखें।

1.2.2 10.12.2014 की सुबह मैं रायपुर से मुंबई वापस आ गया और 12133 मंगलौर एक्सप्रेस द्वारा मुंबई से रवाना हुआ। मैं दिनांक 11.12.2014 को करीब 06.40 बजे नंदगांव रोड स्टेशन पर पहुंचा। उसी दिन मैंने नंदगांव रोड स्टेशन पर खड़ी की गई क्षतिग्रस्त कोचों का निरीक्षण किया। इसके पश्चात, मैंने दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। स्थल निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी मेरे साथ थे :-

- (1) मुख्यालय अधिकारी : ईडी/एचएस, ईडी/एसएंडटी, पीसीई, सीई, सीएसओ, सीएमई।
- (2) रत्नागिरी परिक्षेत्र के अधिकारी : आरआरएम, सी.आरएमई, आरई, आरएसटीई, एसएमओ, एओएम, एओएम/संरक्षा, एससी, एसईएन/केकेडब्ल्यू एवं एसटीई/केकेडब्ल्यू।

1.2.3 दिनांक 11.12.2014 को दुर्घटना स्थल का दौरा करने के उपरांत, मैंने कांकावली में उस अस्पताल का दौरा किया, जहां घायल सवारियों को भर्ती किया गया था। चिकित्सालय के दौरे के दौरान, निम्नलिखित अधिकारीगण मेरे साथ थे :-

- (1) मुख्यालय अधिकारी : ईडी/एचएस, ईडी/एसएंडटी, पीसीई, सीई, सीएसओ, सीएमई।
- (2) रत्नागिरी परिक्षेत्र के अधिकारी : आरआरएम, सी.आरएमई, आरई, आरएसटीई, एसएमओ, एओएम, एओएम/संरक्षा, एससी, एसईएन/केकेडब्ल्यू एवं एसटीई/केकेडब्ल्यू।

1.2.4 मेरे अनुदशों के आधार पर, कोंकण रेलवे द्वारा समाचार पत्रों में दुर्घटना के संबंध में जानकारी रखने वाले लोगों को यह सूचित करते हुए सूचना प्रकाशित कराई गई थी कि वे मडगांव में केआरसीएल अधिकारी विश्राम गृह के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 11.12.2014 को 15.00 बजे से आयोजित होने वाली जांच में दुर्घटना के संबंध में स्वयं उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करें अथवा रेल संरक्षा आयुक्त, मध्य परिमंडल, द्वितीय तल, चर्चगेट स्टेशन भवन एनेक्सी, महर्षि कार्वे रोड, मुंबई-400020 को लिखित रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

1.2.5 मडगांव में को.रे.का.नि.लि. अधिकारी विश्राम गृह के सम्मेलन कक्ष में जांच दिनांक 11.12.2014 को 15.00 बजे प्रारंभ की गई और 11.12.2014 को 23.00 बजे तक जारी रही थी।

1.2.6 जांच के दौरान साक्ष्य अभिलेखित किये गये थे। कार्यकारी निदेशक/स्वास्थ्य सेवार्यें ने को.रे.नि. लि. का प्रतिनिधित्व किया था। रेलवे बोर्ड द्वारा जांच में कोई प्रतिनिधि नामित नहीं किया गया था। रेलवे बोर्ड ने पत्र संख्या 2014/सेफ्टी (एएंडआर) /1/24 दिनांक 12.12.2014 के अंतर्गत सूचित किया कि "यह निश्चय किया गया है कि सामान्य तरीके से रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा आयोजित की जाने वाली दुर्घटना जांच में उपस्थित होने हेतु रेलवे बोर्ड अपना कोई प्रतिनिधि नामित नहीं करेगा, जब तक कि किसी विशेष दुर्घटना जांच में रेल संरक्षा आयुक्त की सहायता करने हेतु किसी तकनीकी विशेषज्ञ की विशेष रूप से आवश्यकता न हो।" जनता के बीच से कोई गवाह अपनी गवाही देने नहीं आया। जेसीबी ऑपरेटर श्री दवाल साब भगवान का बयान 10.12.2014 को नागवेकर चिकित्सालय, कांकावली में एओएम/संरक्षा/रत्नागिरी द्वारा

रिकॉर्ड किया गया था। सिविल प्रशासन और पुलिस अधिकारी जांच में उपस्थित नहीं हुए। जांच के दौरान कॉ.रे.नि.लि. के निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे :

- (1) मुख्यालय अधिकारी : ईडी/एचएस, ईडी/एसएंडटी, पीसीई, सीई, सीएसओ, सीएमई, सीपीओ, सीसीएम एवं केआरसीएल कारपोरेट कार्यालय के अन्य अधिकारी।
- (2) रत्नागिरी परिक्षेत्र के अधिकारी : सी.आरएमई, आरईएन, आरएसटीई, एसएमओ, एसीएम, एओएम, एओएम/संरक्षा, एससी।
- (3) कारवार रीजन के अधिकारी : आरआरएम, सी. आरईएन, एओएम/संरक्षा

आवश्यकतानुसार जांच में मुख्यालय, रीजन एवं कारवार रीजन के अन्य अधिकारी बुलाये गये थे।

1.2.7 सुरागों का संरक्षण :

कॉ.रे.नि.लि. द्वारा दुर्घटना के प्रासंगिक अचल चित्रों की व्यवस्था की गई थी। दुर्घटना के संयुक्त प्रेक्षण अभिलेखित किये गये थे। क्षतिग्रस्त कोच नंदगांव स्टेशन में रखे गये थे। सुराग संतोषजनक ढंग से संरक्षित किये गये थे। अन्य अभिलेख भी संरक्षित किये गये थे और वे जांच में प्रस्तुत किये गये थे।

1.3 दुर्घटना :

- 1.3.1 07.12.2014 को डीजल इंजन सं. डब्ल्यूडीएम 3 डी 14144 द्वारा वहन की जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 12052 अप करमाली-दादर जनशताब्दी एक्सप्रेस (यहां इसके बाद 'रेलगाड़ी' अथवा '12052 अप' अथवा 'सवारी गाड़ी' कहा गया है) ने 16.14 बजे सिंहदुर्ग स्टेशन पार किया। किमी. 320/4 में जब रेलगाड़ी कटिंग पार कर रही थी, तब लोको पायलट ने इंजन के लगभग 200 मीटर आगे रेलपथ के निकट एक पीला पदार्थ देखा था। उसने तुरंत आपातकाल ब्रेक लगा दिया। किमी. 320/1-2 में रेलगाड़ी ने अतिलंघन किये जेसीबी सं. एमएच-07 ए-9786, जो कटिंग के शीर्ष पर रेलपथ के समानांतर चल रही सड़क से रेलपथ पर गिरा था, को टक्कर दी। दुर्घटना में रेल इंजन और रेल इंजन से संटे अगले 3 कोच क्षतिग्रस्त हो गये थे। दुर्घटना में 16 सवारियों को चोटें लगीं। कोई अवपथन नहीं हुआ था। पीआरसी/बीएलपी की अनुमति से रेलगाड़ी को अगले स्टेशन केकेडब्ल्यू ले जाया गया था, रेलगाड़ी लगभग 17.00 बजे केकेडब्ल्यू पहुंची। केकेडब्ल्यू में घायल सवारियों को एम्बुलेन्स द्वारा तत्काल कांकावली स्थित विभिन्न चिकित्सालयों में भर्ती किया गया।

केकेडब्ल्यू स्टेशन में यांत्रिकी कर्मचारियों ने कोचों का निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त कोचों सहित 50 किमी. प्रति घंटा के गति प्रतिबंध सहित नंदगांव रोड स्टेशन तक रेलगाड़ी का संचलन अनुमत किया। रेलगाड़ी ने केकेडब्ल्यू स्टेशन 19.53 बजे छोड़ा और 20.16 बजे नंदगांव रोड स्टेशन पहुंची। नंदगांव रोड में 3 प्रभावित कोचों को अलग किया गया और उनके स्थान पर 3 नये कोच रेलगाड़ी में जोड़े गये। 12052 अप अपनी आगे की यात्रा के लिए नंदगांव रोड स्टेशन से 21.23 बजे रवाना हुई थी।

- 1.3.2 इस रिपोर्ट में उल्लिखित 'दायें' और 'बायें', 'पीछे' और 'आगे', 'पहले' और 'बाद' 12052 अप के संचलन की दिशा के संदर्भ में प्रयोग किये गये हैं।

1.4 जनहानियां :

दुःख के साथ रिपोर्ट करना पड़ता है कि दुर्घटना में 3 सवारियों को गंभीर चोटें आईं और 13 सवारियों को साधारण चोटें लगी थीं।

2. राहत उपाय

2.1 सूचना :

लगभग 16.23 बजे रेलगाड़ी संख्या 12052 अप के एलपी/आरएन ने पीआरसी/बीएलपी को मोबाइल फोन से किमी. 320/2-1 में अतिलंघित जेसीबी के साथ रेलगाड़ी की दुर्घटना के बारे में सूचित किया था।

2.2 चिकित्सा देखभाल :

2.2.1 17.00 बजे 12052 अप केकेडब्ल्यू स्टेशन पर पहुंची थी। घायल सवारियों के प्राथमिक उपचार किये गये और इसके बाद तुरंत उन्हें एम्बुलेन्सों द्वारा केकेडब्ल्यू के विभिन्न चिकित्सालयों में शिफ्ट किया गया था।

2.2.2 एआरएमई का संचलन :

2.2.2.1 एआरएमवी के संचलन का विवरण नीचे वर्णित है :

क्रसं	विवरण	वीईएन एआरएमवी	रत्नागिरी एआरएमवी
1.	आदेश का समय	16.38 बजे	16.40 बजे
2.	प्रस्थान का समय	17.05 बजे निरस्त किया गया।	16.55 बजे
3.	कांकावली पहुंचने का समय (प्रभावित रेलगाड़ी को 17.00 बजे कांकावली में रोका गया)	—	18.52 बजे

2.3 अनुग्रह भुगतान :

दुर्घटना में 03 गंभीर रूप से घायल सवारियों को प्रत्येक रू. 25000/- और 10 साधारण चोट वाली सवारियों को रू. 5000/- प्रत्येक के हिसाब से अनुग्रह धनराशि के भुगतान की व्यवस्था कों. रे. नि. लि. द्वारा की गई।

2.4 बहालीकरण :

2.4.1 07.12.2014 को अतिलंघन को साफ करने के बाद 17.40 बजे यातायात हेतु रेलपथ को स्टॉप डेड एवं 10 किमी. प्रति घंटा के गति प्रतिबंध सहित बहाल किया गया था। पहली रेलगाड़ी यानि कि 10103 डाउन मांडवी एक्सप्रेस 18.16 बजे दुर्घटना स्थल से पास हुई थी।

2.5 रेलगाड़ी प्रचालन के प्रभाव :

2.5.1 कोई मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ी का निरस्तीकरण अथवा मार्ग बदली नहीं करनी पड़ी थी। केवल 5 मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां का समय-पालन नहीं हुआ।

3. रेलगाड़ी

3.0 रेलगाड़ी का संयोजन एवं बंधनक्रम :

3.1 रेल इंजन :

12052 अप करमाली-दादर जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी को डब्ल्यूडीएम/3 ए श्रेणी के डीजल इंजन द्वारा हॉल किया गया था। रेल इंजन सं. 14144 शार्टहुड लीडिंग सहित कार्य कर रहा था। रेल इंजन का बेस इरोड है। रेल इंजन को 29.06.2005 को कमीशन किया गया था। इसका अंतिम पीओएच 28.09.2013 को किया गया था। पीओएच के उपरांत लोको 170694 किलोमीटर (सितंबर, 2014 तक) की आय कर चुका है। रेल इंजन की लंबाई 18360 मीटर और इसका वजन 120 टन है। इरोड में 30.10.2014 को इसका पिछला ट्रिप शेड्यूल किया गया था।

3.2 कोच :

12052 अप करमाली-दादर जनशताब्दी एक्सप्रेस के फारमेशन में 12 कोचें थीं। रेलगाड़ी का संयोजन निम्नानुसार था :-

रेल इंजन से क्र.सं.	कोच का प्रकार	कोच नं.	रेलवे	बॉडी टाइप	निर्माण वर्ष	पिछली पीओएच की तिथि	अगली पीओएच की तिथि
1.	डब्ल्यूजीएससीजेडआरजे	02725	सीआर	आईसीएफ	2000	17.06.13	जनवरी, 15
2.	डब्ल्यूजीएससीजेडएसी	14165	सीआर	आईसीएफ	2014	10.11.14	नवंबर, 16
3.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	08603	सीआर	आईसीएफ	2008	23.07.14	फरवरी, 16
4.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	02609	सीआर	आईसीएफ	2002	13.02.14	सितंबर, 15
5.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	03606	सीआर	आईसीएफ	2003	29.11.14	जुलाई, 16
6.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	02616	सीआर	आईसीएफ	2002	24.07.14	फरवरी, 16
7.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	02611	सीआर	आईसीएफ	2002	03.09.13	अप्रैल, 15
8.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	13603	सीआर	आईसीएफ	2013	19.12.13	दिसंबर, 15
9.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	08602	सीआर	आईसीएफ	2008	16.11.13	जून, 15
10.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	02602	सीआर	आईसीएफ	2002	23.08.14	मार्च, 16
11.	डब्ल्यूजीएससीजेडजे	02608	सीआर	आईसीएफ	2002	05.07.14	फरवरी, 16
12.	डब्ल्यूजीएससीजेडआरजे	02724	सीआर	आईसीएफ	2002	24.11.14	जून, 16

3.2.1 कोचों में एयर ब्रेक लगी हुई थीं। रेल इंजन को छोड़कर रेलगाड़ी की लंबाई 268.64 मीटर और रेल इंजन को छोड़कर रेलगाड़ी का वजन 480 टन था।

3.2.2 रेलगाड़ी की वहन क्षमता 1156 यात्रियों की थी। दुर्घटना के समय रेलगाड़ी में लगभग 591 सवारियां बैठी हुई थीं।

3.2.3 रैक का प्राथमिक अनुरक्षण दादर में 07.12.2014 को किया गया था।

3.3 क्षति एवं स्थिति :

3.3.1 रेल इंजन की क्षति एवं स्थिति का विवरण :

रेल इंजन रेलपटरी से नहीं उतरा था। कैंटिल गार्ड, अगला एवं पिछली सीढ़ी तथा सैंड बाक्स क्षतिग्रस्त हो गया था।

3.3.2 कोचों में हुई क्षति का विवरण तथा उनकी स्थिति :

3.3.2.1 कोचों को हुई क्षति : कोचें पटरी से नहीं उतरी थीं, सभी कोचें रेलपथ पर ही थीं। रेलगाड़ी फारमेशन कुल 12 कोचों में से पिछली 9 कोचों को कोई क्षति नहीं हुई थी। केवल आगे की तीन कोचें (रेल इंजन से पहली, दूसरी एवं तीसरी) क्षतिग्रस्त हुई थीं। क्षति का विवरण नीचे वर्णित है :

(1) कोच नं. सीआर2725 डब्ल्यूजीएससीजेडआरजे (इंजन से पहला) :

(क) साइड पैनल, गार्ड की केबिन एवं खिड़की सं. 2, 3 एवं 7 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं।

(2) कोच नं. 14615 डब्ल्यूजीएससीजेडएसी (इंजन से दूसरा) :

(क) साइड पैनल, डोर हैंडिल एवं आठ खिड़की बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं।

(3) कोच नं. सीआर 08603 डब्ल्यूजीएससीजेडजे (इंजन से तीसरा) :

(क) अंतिम पैनल, साइड पैनल एवं चार खिड़की एवं रोहा छोर कादरवाजा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त था।

रेल इंजन एवं कोचों को हुई क्षति की लागत रु.45,00,000/- है।

3.3.3 सिगनल व्यवस्था संस्थापन को क्षति :

सिगनल व्यवस्था संस्थापन में कोई क्षति नहीं हुई थी।

3.3.4 रेलमार्ग को क्षति :

रेलमार्ग को कोई क्षति नहीं हुई थी।

3.3.5 क्षति की कुल लागत :

(1)	सिगनल एवं दूरसंचार	:	कुछ नहीं।
(2)	विद्युत विभाग	:	कुछ नहीं।
(3)	यांत्रिकी विभाग	:	रु. 45,00,000/-
(4)	इंजीनियरी विभाग	:	कुछ नहीं।

रु. 45,00,000/-

3. स्थानीय दशायें

4.1 सेक्शन एवं साइट :

4.1.1 दुर्घटना कोंकण रेलवे के रत्नागिरी रीजन के रोहा-ठोकुर एकल लाइन बीजी गैर विद्युतीकृत सेक्शन में कांकावली एवं सिंहदुर्ग रोड स्टेशनों के बीच किमी. 320/1-2 में घटित हुई थी। यह स्थान महाराष्ट्र में रात्नागिरी सिलिल जिला में पड़ता है।

4.1.2 लाइन की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। रेलपथ का संरेखण दुर्घटना स्थल पर किमी. 319/850 से 320/195 तक सीधा है और किमी. 320/195 से 320/680 तक 1.4 डिग्री का वक्र पर संरेखण है। ढलान 150 फाल में 1 का है। दुर्घटना स्थल कटिंग में पड़ता है।

4.2 मुख्यालय

रेलपथ के अनुरक्षण के प्रभारी आरईएन/रत्नागिरी, आईएन/केकेडब्ल्यू, एसएसई/रेलपथ, केकेडब्ल्यू एवं एसई/रेलपथ, केकेडब्ल्यू हैं।

4.3 कार्य प्रणाली :

रोहा - ठोकुर सेक्शन में रेलगाड़ियां अब्साल्यूट ब्लॉक प्रणाली पर कार्य करती हैं। नियंत्रण कार्यालय बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित है।

4.4 अधिकतम अनुमेय गति, स्थायी एवं अस्थायी गति सीमा :

रोहा - ठोकुर सेक्शन में रेलगाड़ियां अधिकतम अनुमेय गति राजधानी एवं जनशताब्दी एक्सप्रेस हेतु 120 किमी. प्रति घंटा और अन्य रेलगाड़ियों हेतु 110 किमी. प्रति घंटा की है। रोहा से काकाकोना तक 110 किमी. प्रति घंटा का अस्थायी गति प्रतिबंध लगाया गया था। दुर्घटना स्थल में कोई स्थायी गति प्रतिबंध नहीं लगाया गया था।

4.5 स्टेशनों और दुर्घटना स्थल का किलोमीटर :

रिपोर्ट में संदर्भित, विभिन्न स्टेशनों के किलोमीटर दूरी रोहा से मान कर नीचे दी गई हैं :-

स्टेशन	कोड	किमी.
रोहा	आरओएचए	00.00
रत्नागिरी	आरएन	203.600
नंदगांव	एनएएन	299.552
कांकावली	केकेडब्ल्यू	314.991
दुर्घटना स्थल	—	320/1-2
सिंहदुर्ग	एसएनडीडी	332.560
मडगांव	एमएओ	442.460

1. मुख्य विशेषतायें

- 5.1 दुर्घटना के समय मौसम साफ था और दृश्यता स्पष्ट थी।
- 5.2 दादर में 07.12.2014 को ब्रेक पॉवर प्रमाणपत्र जारी किया गया था। बीपीसी दो राउन्ड ट्रिप हेतु वैध था। बीपीसी के अनुसार, रेलगाड़ी का ब्रेक पॉवर 100 प्रतिशत था।
- 5.3 रेलगाड़ी की गति 85 किमी. प्रति घंटा रही थी तब लोको पायलट ने 16:20:57 बजे ब्रेक लगाया प्रारंभ किया था। ब्रेक लगाने के बाद 33 सेकन्ड में रेलगाड़ी 16:21:30 बजे रुकी पाई थी। रुकने के पहले रेलगाड़ी ने 437 मीटर की यात्रा की थी।
- 5.4 दुर्घटना के समय यानि कि जब लोको ने अतिलंघित जेसीबी को टक्कर मारी, तब रेलगाड़ी की गति 69 किमी. प्रति घंटा की थी।
- 5.5 कटिंग की लंबाई 1070 मीटर है। दुर्घटना स्थल में यानि कि किमी. 320/1-2, कटिंग की गहराई पश्चिमी ओर 7 मीटर और पूर्व की ओर 9 मीटर की है। पश्चिमी साइड पर लगभग 350 मीटर और पूर्व साइड में 500 मी. की लंबाई हेतु रेलपथ के समानांतर कटिंग के शीर्ष पर कच्चा पहुंच मार्ग रनिंग के साथ आरओबी किमी. 320/430 में है। कटिंग के शीर्ष पर सड़क कटिंग के छोर से लगभग 1.5 मीटर से 2.0 मीटर दूर है।
- 5.6 कोंकण रेलवे में 89 कटिंगें ऐसी हैं, जिनके टॉप पर कटिंग के छोर के बहुत निकट रेलपथ के समानांतर सड़कें जाती हैं। कोंकण रेलवे के खुलने से अब तक ऐसी कटिंगों के टॉप पर बैरिकेड लगाने/सुरक्षात्मक उपाय नहीं निर्मित किये गये हैं।

6. अनंतिम निष्कर्ष

- 6.1 अब तक एकत्र किये गये साक्ष्य के आधार पर, प्रथमदृष्ट्या मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दिनांक 07.12.2014 को लगभग 16.22 बजे कोंकण रेलवे के रत्नागिरी क्षेत्र में काकावाली-सिंधुदुर्ग रोड स्टेशन के बीच 12052 अप करमाली-दादर जनशताब्दी एक्सप्रेस की दुर्घटना "रेलवे लाइन के निकट कार्य करने में त्रुटि" के कारण घटित हुई।

7. संस्तुतियां

- 7.1 मैं निम्नलिखित संस्तुतियां करता हूं :-
 - 7.1.1 कोंकण रेलवे कटिंगों के टॉप पर रेलपथ के समानांतर जाने वाली सड़कों, कटिंगों के इंटरमीडिएट बर्मी, कटिंगों में आरओबी के पहुंच मार्गों का एक सर्वेक्षण करना चाहिए और समुचित लंबाई में रेलपथ साइड पर सड़क के साथ अच्छी तरह से डिजाइन की हुई उचित प्रकार की बैरिकेडिंग/सुरक्षात्मक कार्यों का प्रावधान करना चाहिए ताकि कटिंग से रेलपथ पर सड़क वाहनों के गिरने की संभावना समाप्त हो जाये।
 - 7.1.2 कोंकण रेलवे को जेई/एसएसई, ईईएन, एसईएन एवं आरईएन जैसे विभिन्न स्तरों की कटिंग में बैरिकेडिंग के निरीक्षण की प्रक्रिया एवं निरीक्षण अनुसूची बनाई चाहिए। सीई/केआरसीएल एवं आरआरएम के स्तर में परीक्षण जांच भी निर्दिष्ट किये जाने चाहिए।

7.1.3 कोंकण रेलवे को ऐसी सभी बैरीकेडिंगों के अनुरक्षण की प्रणाली भी प्रारंभ करनी चाहिए।

मुंबई,
दिनांक: 07.07.2015

(चेतन बख्शी)
रेल संरक्षा आयुक्त
मध्य परिमंडल, मुंबई।

सं. टी.12013/1/2014/सीसी/203/406

मुंबई, दिनांक : 07.07.2015

निम्नलिखित को प्रतिलिपि अग्रसारित :-

1. सचिव (संरक्षा), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली-110 001.
2. मुख्य महाप्रबंधक, कोंकण रेलवे निगम लि., सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई।

(चेतन बख्शी)
रेल संरक्षा आयुक्त
मध्य परिमंडल, मुंबई।